

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या: /आपदा/भूसर्वे0/भू0खनि0इ0/2019-20 दिनांक: दिसम्बर, 2019

‘वाक-इन-इण्टरव्यू’

उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न जनपदों में चिन्हित आपदाग्रस्त अति संवेदनशील एवं संवेदनशील ग्रामों के आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केन्द्र, देहरादून, उत्तराखण्ड शासन द्वारा पोषित भूगर्भीय सर्वेक्षण कार्य में प्रोजेक्ट कनिष्ठ अभियन्ता सिविल के पद पर प्रोजेक्ट अवधि के लिये ‘वाक-इन-इण्टरव्यू’ दिनांक 21 दिसम्बर, 2019 को प्रातः 11:00 बजे से 3:00 बजे तक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, भोपालपानी, देहरादून, उत्तराखण्ड में योजित किया जा रहा है।

प्रोजेक्ट के कार्य हेतु नितान्त अस्थायी एवं सीमित समयावधि हेतु पदों का

विवरण:-

क्रम स0	विषय	कुल	कार्य अवधि	वेतन दर /माह (रू0 मे)
1	प्रोजेक्ट कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	04	1 वर्ष	25,000

## आवश्यक अनुदेश:-

1. 'वाक-इन-इण्टरव्यू' में प्रतिभाग करने के लिये उम्मीदवारों को कोई TA/DA देय नहीं होगा।
2. 'वाक-इन-इण्टरव्यू' में चयनित/प्रतीक्षारत उम्मीदवारों की सूची विभाग की वेबसाइट पर Upload की जायेगी। विज्ञापित पदों की संख्या प्रोजेक्ट की आवश्यकतानुसार घट या बढ़ सकती है।
3. 'वाक-इन-इण्टरव्यू' में चयनित उम्मीदवारों का कार्यकाल प्रोजेक्ट की स्वीकृत समयावधि हेतु है तथा चयनित उम्मीदवारों का कार्यकाल प्रोजेक्ट अवधि कि समाप्ति के साथ स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।
4. प्रोजेक्ट प्रारम्भ होने से पूर्व चयनित उम्मीदवारों को जनपद देहरादून मुख्यालय में 07 दिवसीय क्षेत्रीय कार्य का प्रशिक्षण स्वयं के व्यय पर प्रतिभाग कर सफलतापूर्वक ग्रहण करना होगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान विभाग द्वारा उम्मीदवार को कोई भी आवासीय सुविधा/मानदेय देय नहीं होगा।
5. 07 दिवसीय क्षेत्रीय कार्य के प्रशिक्षण में चयनित उम्मीदवार के मानक अनुरूप कार्यक्षमता ना पाये जाने पर उक्त उम्मीदवार के स्थान पर प्रतीक्षारत सूची से उम्मीदवार को अवसर प्रदान किया जायेगा।
6. प्रोजेक्ट अवधि के दौरान, मासिक मानदेय के अतिरिक्त, क्षेत्रीय भ्रमण कार्यावधि के दौरान हेतु निर्धारित दैनिक भत्ता (माह के अधिकतम 20 क्षेत्रीय भ्रमण दिवसों हेतु) रू0 150/- देय होगा।

7. दल को निरीक्षण कार्य हेतु श्रमिक, वाहन एवं अन्य संसाधनों/व्यय हेतु विभागीय परिवेक्षक द्वारा निर्धारित अग्रिम राशि देय होगी जिसके समस्त बिलों को विभागीय परिवेक्षक द्वारा सत्यापित कर दल के अगले अग्रिम राशि आहरित करने से पूर्व संयुक्त निदेशक, भूविज्ञान को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

8. प्रत्येक दल के सभी सदस्यों से आपसी समन्वय एवं भूवैज्ञानिक परिवेक्षक द्वारा निर्धारित मासिक लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति की अपेक्षा की जाती है। दल के लिये मासिक लक्ष्यों को पूर्ण करने में आ रही कठिनाई को भूवैज्ञानिक परिवेक्षक/उच्च स्तर पर अवगत कराने का दायित्व दल के सभी सदस्यों का होगा।

9. दल के सभी सदस्यों की कार्यशैली का भूवैज्ञानिक परिवेक्षक/उच्च स्तर अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा दोषों/त्रुटियों को सुधार करने का अवसर प्रदान किया जायेगा परन्तु दोषों/त्रुटियों के पुनरावृत्ति पर उच्च स्तर अधिकारी द्वारा उक्त सदस्य/दल का कार्यकाल तत्काल बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा। तथा उक्त सदस्य/दल के स्थान पर प्रतीक्षारत सूची से उम्मीदवार को अवसर प्रदान किया जायेगा।

10. सफल उम्मीदवार द्वारा अपने बायोडेटा संबंधी अथवा संलग्न अनुभव प्रमाण पत्रों में असत्य/गलत जानकारी पाये जाने पर साक्षात्कार/प्रोजेक्ट के किसी भी चरण में उनका चयन अमान्य घोषित किया जा सकता है।

11. प्रोजेक्ट अवधि के दौरान किसी आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पर विभाग से किसी भी प्रकार का प्रतिपूर्ति सम्बन्धी दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

## पदों हेतु शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव:-

1. प्रोजेक्ट कनिष्ठ अभियन्ता हेतु किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/पॉलिटेक्निक से सम्बन्धित शाखा में सिविल अभियंत्रिकी में डिप्लोमा तथा सिविल निर्माण कार्यों के आंगणन किये जाने का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव।

इच्छुक अभ्यर्थी अपने शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण पत्रों, उनकी सत्यापित छायाप्रतियों एवं अपने दो पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ सहित संलग्न फारमेट पर अपना पूर्ण बायोडेटा भर कर (दो सैट) दिनांक 21 दिसम्बर, 2019 को प्रातः 10:00 बजे भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, भोपालपानी, पो0 बडासी, रायपुर-थानों मोटर मार्ग, देहरादून, उत्तराखण्ड में 'वाक-इन-इण्टरव्यू' में प्रतिभाग हेतु उपस्थित हों।

(डा0 मेहरबान सिंह बिष्ट)

निदेशक